

11
अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - भदोसर जिला चित्तौडगढ


मांगीबाई वगैरा || बनाम || गोपाललाल वगैरा

किस्म मुकदमा 128 एल.आर.ए.

नम्बर.

18/2019 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00319	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की लामोत में जारी है <i>finalized decision on file 320</i>
15/5/2019	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा कांस्याखुर्द पटवार हल्का लेसवा में स्थित खाता संख्या 65 में अंकित आराजी नम्बर 433 रकबा 2.16 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 67 की आ0 न0 434 रकबा 0.14 हैक्टैयर भूमि स्थित होकर विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जैर बहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदोसर को 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा कांस्याखुर्द पटवार हल्का लेसवा में स्थित खाता संख्या 65 में अंकित आराजी नम्बर 433 रकबा 2.16 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 67 की आ0 न0 434 रकबा 0.14 हैक्टैयर भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें। इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
भदोसर